76/21 गिरधारी - ओमप्रकाश

दिनांक	आज्ञा पत्र
31.7.24	पत्रावली पेश। दीगर न्यायिक कार्य में व्यस्त होने से आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 2.8.24 को पेश हो।
2/8/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ★ सीकर ★

<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 76/2021

1 गिरधारी पुत्र चुन्नीलाल
2 बुधरमल पुत्र चुन्नीलाल
3 भंवरलाल पुत्र चुन्नीलाल
समस्त जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड नम्बर 25 पुराना लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र पोखरराम जाति जाट निवासी ग्राम सिंगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 ईश्वरराम पुत्र केशरराम जाति जाट निवासी ग्राम बुजियानाउ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 महावीर प्रसाद पुत्र गणपतराम जाति मीणा निवासी फतेहसरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
4 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी महोदय लक्ष्मणगढ़ दिनांक 28.09.2021 बउनवानी मुकदमा ओमप्रकाश आदि बनाम गिरधारी आदि प्रार्थना पत्र संख्या 02/2016 अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थिति :

1. श्री नानूराम बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 02.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 02/2016 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 694/1 में से रास्ते की मांग की विचारण न्यायालय ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 1301 में से रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये है। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने बतौर उपखण्ड अधिकारी प्रश्नगत निर्णय पारित किया है जबकि आवेदन राजस्थानी काश्तकारी में प्रस्तुत हुआ है राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में ऐसे आवेदन की सुनवायी का क्षेत्राधिकार सहायक कलेक्टर महोदय को है उपखण्ड अधिकारी महोदय को नहीं है इसलिए निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय ने तहसीलदार से जो मौका रिपार्ट मंगवायी उसमें यह स्पष्ट आदेश था की मौका रिपोर्ट आप स्वयं तैयार करे और दोनों पक्षों को मौके पर बुलाकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करे तहसीलदार ने स्वयं ने मौका रिपोर्ट तैयार न कर पटवारी व गिरदावर से रिपोर्ट तैयार करायी जिन्होंने मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना तक नहीं दी और बाला बाला रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के प्रभाव में आकर गलत रिपोर्ट तैयार की। इस आशय की आपत्ति भी अपीलांट ने की लेकिन आपत्ति अस्वीकार कर गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर गलत निर्णय पारित कर दिया। मौका रिपोर्ट में भी मौके पर कोई रास्ता मौजूद होना अंकित नहीं किया है और अपीलांट ने जवाब आवेदन में रास्ता प्रचलन में होना अंकित नहीं किया है और जवाब में वैकल्पिक रास्ता प्रचलन में मौजूद होना कथन किया है जिसका कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ है इन सबके बावजूद बिना किसी की साक्ष्य लिए गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। निर्णय जैर अपील में अपीलांट/अप्रार्थी की जाति मीणा व सकुनत ग्राम फतेहसरा तहसील व जिला झुन्झुनू की बतायी है जबकि अपीलांट की जाति कुम्हार व सकुनत लक्ष्मणगढ़ है जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता है की विचारण न्यायालय ने अपने मस्तिष्क का सही उपयोग नही कर जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जेर अपील में पहले रास्ते काटने का आदेश पारित किया है फिर डीएलसी दर से 656 वर्गमीटर की एवज में डीएलसी दर का दुगुना की दर से भुगतान किये जाने के आदेश पारित किये है जबकि भूमि सीवा जोड है और भूमि के बदले भूमि क्यों नहीं दिलवायी गयी इसका न तो कोई औचित्य उल्लेख किया है और डीएलसी दर का निर्धारण का जिम्मा तहसीलदार के निर्णय पर छोड़कर उसे निर्णय हेतु अधिकृत किया है डीएलसी दर की राशि कौन से व्यक्ति को किस अनुसार देय होगी इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट के अनुसार वादी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 693 रकबा 0.90 हैक्टेयर (जिसके नये खसरा नम्बर 1300 रकबा 0.90 हैक्टेयर) में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 694/1 रकबा 1.83 हैक्टेयर (जिसके नये खसरा नम्बर 1301 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1303 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1304 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.01 हैक्टेयर) में से 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। वर्तमान रिकार्ड के अनुसार उक्त रास्ता खसरा नम्बर 1301 रकबा 1.34 हैक्टेयर में से मौके पर चाहा गया है। वादी द्वारा जहां से रास्ता चाहा गया है वहां पर वर्तमान में मौके पर कोई रास्ते के निशान मौजूद नहीं है। वादी ने बताया कि वे पूर्व में इधर से ही आते जाते थे, जिसको प्रतिवादीगण ने बंद कर दिया हैं। इसके अलावा भी खसरा नम्बर 1300 (पुराने 693) में आने जाने हेतु मौके पर अन्य कोई रास्ता प्रचलित नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं मौके के अनुसार नजरी नक्शा दर्शाया गया है। नजरी नक्शे में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली है एवं रास्ते हेतु उपयुक्त है। रास्ते के बदले में भी जाने वाली भूमि नजरी नक्शे में लाल स्याही से (64 मी X 10.25 मी = 656 व.मी.) दर्शायी गई है। रास्ता स्वीकृत करने की दशा में 656 वर्गमीटर या 0.0656 हैक्टेयर (164 व.मी. X 4 मी. = 656 व.मी.) भूमि गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 1301 में से दर्ज की जानी है। वर्तमान में कोई भी रास्ता वादी के खेत में जाने हेतु प्रचलित या कटानी नहीं है। वादीगण के खाते की भूमि में जाने हेतु रास्ता होना आवश्यक है। राजकीय हित व खसरा नम्बर 1301 के खातेदारों के अतिरिक्त अन्य किसी के हित प्रभावित नहीं होंगे। वादीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वादी पक्ष के खेत तक नहीं जाता है। वादीगण द्वारा 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है जो लघुत्तम ही है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने हेतु रास्ता 4 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

इस मौका रिपोर्ट के खंडन में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत विवेचन कर निस्तारण किया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में नियमानुसार प्रतिकर राशि दिये जाने के आदेश दिये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट के अनुसार वादी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 693 रकबा 0.90 हैक्टेयर (जिसके नये खसरा नम्बर 1300 रकबा 0.90 हैक्टेयर) में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 694/1 रकबा 1.83 हैक्टेयर (जिसके नये खसरा नम्बर 1301 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1303 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1304 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.01 हैक्टेयर) में से 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। वर्तमान रिकार्ड के अनुसार उक्त रास्ता खसरा नम्बर 1301 रकबा 1.34 हैक्टेयर में से मौके पर चाहा गया है। वादी द्वारा जहां से रास्ता चाहा गया है वहां पर वर्तमान में मौके पर कोई रास्ते के निशान मौजूद नहीं है। वादी ने बताया कि वे पूर्व में इधर से ही आते जाते थे, जिसको प्रतिवादीगण ने बंद कर दिया हैं। इसके अलावा भी खसरा नम्बर 1300 (पुराने 693) में आने जाने हेतु मौके पर अन्य कोई रास्ता प्रचलित नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं मौके के अनुसार नजरी नक्शा दर्शाया गया है। नजरी नक्शे में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली है एवं रास्ते हेतु उपयुक्त है। रास्ते के बदले में भी जाने वाली भूमि नजरी नक्शे में लाल स्याही से (64 मी X 10.25 मी = 656 व.मी.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दर्शायी गई है। रास्ता स्वीकृत करने की दशा में 656 वर्गमीटर या 0.0656 हैक्टेयर (164 व.मी. X 4 मी. = 656 व.मी.) भूमि गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 1301 में से दर्ज की जानी है। वर्तमान में कोई भी रास्ता वादी के खेत में जाने हेतु प्रचलित या कटानी नहीं है। वादीगण के खाते की भूमि में जाने हेतु रास्ता होना आवश्यक है। राजकीय हित व खसरा नम्बर 1301 के खातेदारों के अतिरिक्त अन्य किसी के हित प्रभावित नहीं होंगे। वादीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वादी पक्ष के खेत तक नहीं जाता है। वादीगण द्वारा 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है जो लघुत्तम ही है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने हेतु रास्ता 4 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किया गया है। इस मौका रिपोर्ट के खंडन में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत विवेचन कर निस्तारण किया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में नियमानुसार प्रतिकर राशि दिये जाने के आदेश दिये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमे कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमे हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर